कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद।

पत्रांकः– 23 /2016 दिनाकः जनवरी 30 2016।

सेवा मे,

वास्तुविद नियोजक,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वास्तु कला एवं नियोजन ईकाई–पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरानगर लखनऊ।

विषयः मैसर्स माधव मुकुन्द डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा भूखण्ड संख्याः–4 बी/कॉम–1ए वसुन्धरा गाजियाबाद पर प्रस्तावित कॉमर्शियल/रेजिडेन्सियल भवन के मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रो मे प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी वैशाली द्वारा किया गयां। आख्या दिनाकः 22.01.2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

भवन की संरचना

कुल प्लाट एरिया–708.75 वर्गमीटर।
बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–216.00 वर्गमीटर।
भूतल/स्टिल्ट कवर्ड एरिया–216.00 वर्गमीटर।
प्रथम तल कवर्ड एरिया–216.00 वर्गमीटर।
द्वितीय तल से चतुर्थ तल तक कवर्ड एरिया–174.62 वर्गमीटरं (प्रत्येक)
भवन की ऊचाई–14.35 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रो मे रोड की चौडाई 18 मीटर चौडा रोड प्रदर्शित है। जो भवन नियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 06.00 मीटर है।

3–सैटबैकः–

ए0–अग्रभाग–08.23 मीटर।
बी–पृष्ठभाग–05.00 मीटर।
सी–पार्श्व प्रथम– 05.00 मीटर।
डी–पार्श्व द्वितीय–05.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियावमली के अनुसार है। सैट बैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे। सैट बैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4–निकास मार्गः–प्रश्नगत भवन में 2.00 मीटर चौडाई की एक स्टेयर कैस प्रस्तावित है।जिसकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफ्यूज एरियाः– प्रश्नगत भवन की ऊचाइ के सापेक्ष रिफ्यूज एरिया मान्य नही है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 तथा भवन की महत्ता एवं फायर रिस्कं के दृष्टिगत निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्थाऐ कराया जाना आवश्यक है।

1–टैरिस टैक :–प्रस्तावित भवन की टेरेस पर टेरेस टैक क्षमता 10,000 लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–फायर पम्प–प्रस्तावित टैरेस टेक के पास 900 एलपीएम क्षमता का टेरेस पम्प स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

3–होजरील मय डाउन कमरः–प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइप आईएसः3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।

CFO
Ghaziabad

4–ऑटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टमः–प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे ऑटोमेटिक स्प्रिकलर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

5–फायर एक्सटिंग्यूशरः प्रश्नगत भवन में आई0एस0 2190 मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना वॉछनीय है।

6–एग्जिट साइनेजः– प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स माधव मुकुन्द डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा भूखण्ड संख्याः–4 बी/कॉम–1ए वसुन्धरा गाजियाबाद पर प्रस्तावित कॉमर्शियल/रेजिडेन्सियल भवन के मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा एन0बी0सी0–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन मे अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाऐं मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः– अनुमोदित मानचित्र

पुलिस अधीक्षक नगर
गाजियाबाद।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिहस्ताक्षरित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– अग्निशमन अधिकारी वैशाली को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।

2– मैसर्स माधव मुकुन्द डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा भूखण्ड संख्याः–4 बी/कॉम–1ए वसुन्धरा गाजियाबाद को सूचनार्थ ।